न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रकरण सं. 25/2019

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर। .....अपीलार्थी

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर।
2. महिला एवं बाल विकास विभाग,अभिकरण अजमेर जरिये उपनिदेशक एवं परियोजना निदेशक।
3. जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर जरिये महाप्रबन्धक।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर।
5. ग्राम पंचायत रसूलपुरा जरिये सरपंच।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक
2. श्री गिरीश पारीक अभिभाषक अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक 24.06.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम काकरदा भूणाबाय तहसील एवं जिला–अजमेर की वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खसरा नं0 159 रकबा 11–05–00 किस्म चारागाह को जिला कलक्टर अजमेर के आदेश कमांक राजस्व/एफ 12(सी)/3/92/6 दिनांक 21.02.92 से मिनी सचिवालय एवं अन्य राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु आरक्षित/आवंटित की गई थी। इस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 19.04.2002 से रकबा 5816.65 वर्ग गज भूमि मिनी सचिवालय एवं राजकीय भवन निर्माण हेतु नगर सुधार न्यास, अजमेर को आरक्षित होने के पश्चात पुनः नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा समर्पित किये जाने के कारण चरागाह का अंकन दर्ज हुआ जबकि उक्त खसरा नं0 159 में से 5816.65 वर्ग गज भूमि चारागाह दर्ज नहीं होकर सिवायचक खाते में अंकित की जानी थी। जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 20.5.25 के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अभिकरण अजमेर को 840.58 वर्ग गज, जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर को 2417.05 वर्ग गज एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर को 1548.00 वर्ग गज भूमि आवंटित होकर उपरोक्त तीनों विभागों के नाम नामान्तरकरण संख्या 243 दिनांक 21.5.2005, नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांक 21.5.2005 एवं नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 2.5.2005 से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाकर किस्म चरागाह अंकित की गई। जो काबिले दुरूस्तनीय है। उक्त नामान्तरकरणों के द्वारा दर्ज भूमि की किस्म चरागाह को संशोधित कर किस्म गैर मु0बरडा सिवायक चक दर्ज करवाने के अनुतोष बाबत प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करवाने हेतु इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 03 के प्रतिनिधि उपस्थित आये, जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 01 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये, जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा फर्द दस्तावेज के साथ अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर को जारी पत्र दिनांक 20.6.2014 की प्रति पेश की गई। उपस्थित उभय पक्ष द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हें सुना गया ।

राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कांकरदा भूणाबाय तहसील एवं जिला–अजमेर की वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खसरा नं0 159 रकबा 11–05–00 किस्म चारागाह को जिला कलक्टर अजमेर के आदेश कमांक राजस्व/एफ 12(सी)/3/92/6 दिनांक 21.02.92 से मिनी सचिवालय एवं अन्य राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु आरक्षित/आवंटित की गई थी। इस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 19.04.2002 से रकबा 5816.65 वर्ग गज भूमि मिनी सचिवालय एवं राजकीय भवन निर्माण हेतु नगर सुधार न्यास, अजमेर को आरक्षित होने के पश्चात पुनः नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा समर्पित किये जाने पर भूमि चरागाह दर्ज कर दी गई है। जबकि उक्त खसरा नं0 159 में से 5816.65 वर्ग गज भूमि चारागाह दर्ज नहीं होकर सिवायचक खाते में अंकित की जानी थी। जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 20.5.2005 के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अभिकरण, अजमेर को 840.58 वर्ग गज, जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर को 2417.05 वर्ग गज एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर को 1548.00 वर्ग गज भूमि आवंटित की गई। आवटन के आधार पर तीनों विभागों के नाम नामान्तरकरण संख्या 243, 244 दिनांक 21.5.2005 एवं नामान्तरकरण सख्या 245 दिनांक 2.5.2005 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर चरागाह अंकित की गई। जो कि विधि विरूद्ध होने से काबिले दुरूस्तनीय है। बहस जारी रखते हुए उपस्थित पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरणों के द्वारा दर्ज भूमि की किस्म चरागाह को संशोधित कर किस्म गैर मु0बरडा सिवाय चक दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावें। अपने कथनो की पुष्टि में फर्द दस्तावेज के साथ अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा जिला कलक्टर अजमेर को प्रेषित पत्र दिनांक 20.6.2014 की प्रति पेश की गई।

उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 21.02.1992 के द्वारा खसरा नं0 159 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा किस्म चारागाह का नगर सुधार न्यास, अजमेर को मिनी सचिवालय व राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु आवटन किया गया था। उक्त वर्किंग खसरा के नवीन खसरा नं0 563 रकबा 1.73 हैक्टयर तथा खसरा नं0 563/1659 रकबा 0.09 हैक्टयर बने। तत्पश्चात उक्त रकबे में से नगर सुधार न्यास द्वारा 5816.56 वर्ग गज भूमि राज्य सरकार को समर्पित किये जाने से उक्त रकबा 5816.56 वर्ग गज भूमि राज्य सरकार में निहित हो गया। जमाबन्दी सवत 2074 से 2077 में खसरा नं0 563 रकबा 1.73 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन बरडा दर्ज है जिसमें से अजमेर विकास प्राधिकरण का 1333/1730 हिस्सा भमि दर्ज है। शेष बचा हुआ रकबा अजमेर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। अप्रार्थी सख्या 01 अजमेर विकास प्राधिकरण का कथन है कि ग्राम कांकरदा भूणाबाय के खसरा नं0 159 रकबा 11–05–00 किस्म चारागाह को जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 21.02.92 से मिनी सचिवालय एवं अन्य राजकीय

जिला कलक्टर
अजमेर

कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु आरक्षित/आवंटित की गई थी। उक्त वर्किंग खसरा के नवीन खसरा नं0 563 रकबा 1.73 हैक्टयर तथा खसरा नं0 563/1659 रकबा 0.09 हैक्टयर बने। तत्पश्चात उक्त रकबे में से नगर सुधार न्यास द्वारा 5816.56 वर्ग गज भूमि राज्य सरकार को समर्पित किये जाने से उक्त रकबा राज्य सरकार में निहित हो गया। जमाबन्दी सवंत 2074 से 2077 मे खसरा नं0 563 रकबा 1.73 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन बरडा दर्ज है जिसमें से अजमेर विकास प्राधिकरण का 1333/1730 हिस्सा भूमि दर्ज है। शेष बचा हुआ रकबा अजमेर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है। वहीं प्रार्थी का कथन है कि नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 19.04.2002 से रकबा 5816.65 वर्ग गज भूमि मिनी सचिवालय एवं राजकीय भवन निर्माण हेतु नगर सुधार न्यास, अजमेर को आरक्षित होने के पश्चात पुनः नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा समर्पित किये जाने पर चरागाह का अंकन दर्ज हुआ जबकि उक्त खसरा नं0 159 में से 5816.65 वर्ग गज भूमि चरागाह दर्ज नहीं होकर सिवायचक खाते में अंकित की जानी थी। चूंकि जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 20.5.2005 के द्वारा 840.58 वर्ग गज भूमि, महिला एवं बाल विकास विभाग अभिकरण अजमेर को, 2417.05 वर्ग गज भूमि जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर को एवं 1548.00 वर्ग गज भूमि वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर को सशर्त आवंटित होकर उपरोक्त तीनों विभागों के नाम नामान्तरकरण संख्या 243, 244, 245 दिनांक 21.5.2005 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जा चुका है। शेष भूमि (1011.02 वर्ग गज) खसरा नं0 563/1659 रकबा 0.09 हैक्टयर किस्म गै0मु0बरडा जो कि खाता संख्या 369 में ग्राम पंचायत रसूलपुरा के नाम चरागाह भूमि में दर्ज है, की किस्म गै0मु0बरडा सिवायचक खाते में दर्ज किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 129 दिनांक 12.4.2002 में दर्ज भूमि की किस्म चरागाह को संशोधित कर खसरा नं0 563/1659 रकबा 0.09 हैक्टयर किस्म गै0मु0बरडा जो कि खाता संख्या 369 में ग्राम पंचायत रसूलपुरा के नाम चरागाह भूमि में दर्ज है, इसकी किस्म गै0मु0 बरडा सिवायचक खाते में दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा, 82 भू-राजस्व अधिनियम के तहत् माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.06.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
अजमेर